समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्ष:– 2019–20 पृष्ठ:– 4 अंक :– 39 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

नागरिकता संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित – डॉ. किशन कछवाहा

पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों अर्थात् हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों के साथ धार्मिक कारणों से न केवल भेदभाव होता आ रहा है, वरन् उनके साथ ज्यादितायां और तरह तरह के जुल्म और सितम ढ़ाये जाने की खबरें आती रही हैं, तथा अभी आ रही हैं, जिसके कारण उन्हें वहां–वहां से पलायन को मजबूर होना पड़ा। वे भारत में शरण के लिये आश लगाये बैठे हैं, ताकि वे यहां आसान तरीके से जीवन जी सकें। क्या वर्तमान भारत सरकार द्वारा उन्हें शरण और सांत्वना नहीं दी जानी चाहिए?

गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि यदि कांग्रेस ने सन् 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा न किया होता, तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

काँग्रेस का विरोध आधार हीन – आज नागरिक संशोधन बिल लाने के संदर्भ में समानता के अधिकार की दलील दी जा रही है। इन्हें इस बात को भी स्मरण रखना चाहिये कि सन् 1947 में जब बांग्लादेश, पाकिस्तान से अलग हुआ था तब इंदिरा गांधी ने फैसला लिया था कि बांग्लादेश से जितने लोग भारत आ गये थे उन्हें नागरिकता दी जाये। उस समय पाकिस्तान से आये लोगों को यह रियायत क्यों नहीं दी गयी? उस समय अनुच्छेद 14 पारित किया गया था तो बांग्लादेश ही क्यों ध्यान में रखा गया? यद्यपि आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यों के साथ हो रहे अत्याचार के समाचार मिल रहे हैं उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस शासन में युगांडा से आये लोगों को नागरिकता दी गई, फिर इंग्लैंड से आये लोगों को क्यों नहीं दी गयी?

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का विरोध का आधार ही गलत है। इनका कहना है कि मुसलमानों को ऐसी रियायत क्यों नहीं दी जा रही। इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामी देश हैं। यहां मुस्लिमों के प्रताड़ित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रताड़ना तो हो रही है गैर–मुस्लिमों के साथ।

ऐसे अवसर पर विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिये था। आखिर देर–अबेर अब सरकार गैर–मुस्लिमों के साथ हुये जुल्म और अत्याचारों पर राहत देने जा रही है। यह अभी का एक उदाहरण है कि ऐसे जुल्मों से परेशान होकर पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी (इमरान खान की पार्टी) तहरीक–ए–इंसाफ के एक विधायक बल्देवसिंह भारत भाग आये हैं। जहां एक विधायक की ऐसी हालत हो, वहां सामान्य व्यक्ति की क्या हालत होगी, उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है?

उक्त तीनों देशों से आये हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जनों के लिये नागरिकता सम्बंधी नियमों का सरल बनाने के उद्देश्य से ही यह बिल लाया गया है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने वर्ष 2015 और 2016 में इन कानूनों में संशोधन करके कुछ छूट दे रखी है।

पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद जिस तरह से वहां हिन्दुओं और सिखों आदि गैर मुस्लिमों के साथ बर्बर तरीके से अत्याचार हुये, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जितने प्रकार के जुल्म हो सकते थे, वे इन लोगों द्वारा सहन किये गये। शत्रु सम्पत्ति कानून के अंतर्गत उनकी सम्पत्तियों पर भी कब्जा कर लिया गया। सम्पत्ति लूटने, महिलाओं की इज्जत तार–तार किये जाने की वारदातें हुयीं, धर्म परिवर्तन कर जबरिया निकाह को अंजाम दिया गया, लेकिन पूर्व सरकारों द्वारा कोई साहसिक कदम नहीं उठाये गये। बांग्लादेश से भी कट्टार पंथियों द्वारा ऐसे ही वारदातें और हमलों की खबरें आज भी मिलती जा रहीं हैं। चकमा आदिवासियों के साथ भी भारी जुल्म हुये हैं। ऐसे तमाम पीड़ितों का राहत एवं शरण देकर भारत अपने पूर्व के दायित्वों को पूरा कर पाने के लिये मानों अपने अपराधों का परिमार्जन ही कर रहा है। उनके लिये तो दो मार्ग शेष रहे गये हैं कि या तो वे मुसलमान बन जायें या फिर तरह–तरह के जुल्म सहते हुये अपना जीवन जियें और यातनायें सहते रहें।

भारत–पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान में हिन्दुओं की जनसंख्या 22 प्रतिशत थी, जो अब घटकर तीन प्रतिशत रह गयी है, इसी प्रकार यह जनसंख्या बांग्लादेश में 28 प्रतिशत थी, जो अब घटकर आठ प्रतिशत रह गयी है। इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि या तो वे मुसलमान बना लिये गये, मार डाले गये, या फिर वहां से कहीं भाग कर चले गये।

विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जिसके कारण देश के हितों को भारी खतरा पैदा हो गया है। असम सहित अन्य सीमावर्ती प्रदेशों में लम्बे समय से अवैध बांग्ला देशियों द्वारा घुसपैठ हो रही है। जिसके कारण देश के संशा धनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थानीय लोगों और संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय नेताओं द्वारा संरक्षण दिये जाने के परिणाम स्वरूप इन अवैध घुसपैठियों को राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी उपलब्ध करा दिये गये हैं। असामाजिक–आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं कानून और व्यवस्था का कठिन प्रश्न खड़ा होता जा रहा है।

यहां इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बांग्लादेश से भारी संख्या में मुसलमान भी आ गये हैं, वे उनके साथ वहां उत्पीड़न की कोई घटना नहीं घटी है, न ही किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव हो रहा। वरन् वे अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति के लिये यहां आये है। क्यों इनकी तुलना वहां जुल्मोंसितम झेल कर आये हिन्दुओं और गैर–मुस्लिमों से की जानी चाहिये? स्पष्ट है इस बिल का विरोध करने की विपक्षी मनसा देश हित के विरोध में है।

विपक्ष के विरोध का जवाब देते हुये गृहमंत्री ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि पूर्व में भी ऐसे कानून बने हैं। सन् 1947 में लाखों लोगों ने भारत में शरण ली थी, उन्हें हमने नागरिकता देते हुये तमाम अधिकार दिये थे। ऐसे लोगों में मनमोहन सिंह और लालकृष्ण आडवानी जैसे लोग भी थे। सन् 1971 में भी ऐसे ही प्रावधान लागू किये गये थे। अब यह विरोध क्यों किया जा रहा है।

विधेयक का 11 दलों ने विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार गठन के मुद्दे पर एन.डी.ए. से अलग हुयी शिवसेना ने भी अकालीदल, जदयू, अन्नाद्रमुक सरकार के साथ हैं। लेकिन शिवसेना ने राज्यसभा में अज्ञात कारणों से वाक–आउट कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और आशंकाओं का जवाब देते हुये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है और धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले लोगों को शरण देता है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और पंथ के आधार पर किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए मगर किसी भी सरकार का यह तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की रक्षा करें। क्या यह देश सभी के लिये खुला छोड़ा जा सकता है? ऐसा कौन सा देश है, जिसने बाहरी लोगों को नागरिकता देने के लिये कानून नहीं बनाये? कांग्रेस

शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

25 दिसम्बर - पं. मदनमोहन मालवीय - डॉ. किशन कछवाहा

विलक्षण व्यक्तित्व के धनी राष्ट्र जागरण के ज्योतिपुंज, वास्तव में वे महामना ही थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षविद् समाज सुधारक थे। उन्होंने जातिगत बेड़ियों को तोड़ने से लेकर दलितों के मंदिर प्रवेश निषेध सम्बंधी बुराई के खिलाफ देशभर में शंखनाद किया। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वाधिक सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया। वे उन श्रेष्ठ जनों में से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन, विचारों और कृतित्व के माध्यम से समाज को जीवन्त और जागृत करने के लिये कोई कमी नहीं छोड़ी। राष्ट्र को जिन पर अपूर्व गर्व है।

वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के महान आदर्श पुरूष थे। उन्होंने पत्रकारिता, कानून के विशेषज्ञ, समाज सुधार, मातृभाषा के उन्नयन एवं भारत माता की सेवा में ही अपना पूरा जीवन खपा दिया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्हों ने विश्व विख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ताकि देश का मस्तिष्क सदा ऊँचा रहे।

मालवीय जी का जन्म उत्तरप्रदेश के प्रयाग में 25 दिसम्बर 1861 को हुआ था। उनका परिवार मूलतः मध्य भारत के मालवा प्रान्त में निवास करने वाला था। बाद में प्रयाग(इलाहाबाद) में आकर बस गये। उनके पिता ब्रजनाथ जी संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे। उनकी श्रीमद्भागवत कथा बड़ी रूचि थी।

उन्होंने फरवरी 1916 को महान शिक्षा केन्द्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की नींव रखकर मानो आधुनिक शिक्षा की ही बुनियाद रखी थी। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि लोकतंत्र के लिये श्रेष्ठ नागरिकों की आवश्यकता है। लोकतंत्र की आधारशिला पर ही सच्ची राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम को मजबूत किया जा सकता है। उनका भारतीय चिकित्सा पद्धति में पूर्ण विश्वास था। इस हेतु विश्वविद्यालय में ही आयुर्वेदिक शिक्षा की व्यवस्था की।

मालवीय जी सन् 1918 और 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। हिन्दी की सेवा और गौमाता की रक्षा उनके प्रमुख कार्यक्रम हुआ करते थे। सन् 1928 में प्रयाग में आयोजित अखिल भारतीय गौरक्षा सम्मेलन में उनकी श्लाघनीय भूमिका रही। उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी।

देश के अत्यन्त प्रभावी समाचार पत्र 'हिन्दोस्तान' के सम्पादक भी रहे। इस पद पर रहते हुये जो जो गौरवपूर्ण कार्य उन्होंने किये वे आज भी इस पीढ़ी के लिये प्रेरणास्पद है। हिन्दी पत्रकारिता का समय स्वर्णिम अतीत कहा जाता है। सन् 1886 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उनके अत्यन्त प्रभावशाली परिणाम की प्रशंसा कांग्रेस के संस्थापक ए. ओ. ह्यूम, समाध्यक्ष दादाभाई नौरौजी तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि द्वारा की गयी थी। इस वक्तृत्व कला से प्रभावित होकर काला कॉकर के महाराजा रमणपाल सिंह ने अपने पत्र 'हिन्दुस्थान' का उन्होंने सम्पादक बनाने का निश्चय कर लिया था। अपनी सम्पादकीय नीति के मामले में उन्होंने किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया। वे इस मामले में बड़े आग्रही थे। नशे की हालत में राजा रामपाल सिंह द्वारा बुलाने पर नौकरी ही छोड़ दी थी। सम्पादक के स्वाभिमान का यह उदाहरण आज के दौर में दुर्लभ है।

अपने हृदय की महानता के कारण मालवीय जी को सनातन धर्म अत्यधिक प्रिय था। बचपन से ही आचार–विचारों की दृढ़ नींव उनमें पड़ गयी थी जिसके कारण रेल में या जेल में भी या जलयान में भी प्रातः सायं सन्ध्योपसना, श्रीमद्भागवत और गीता का स्वाध्याय उनके जीवन की अभिन्न अंङ्ग बन गया था। उनके द्वारा दिये गये व्याख्यान जिनमें रोलट एकट के विरोध में चार घंटे लगातार, अपराध निर्मोचन बिल पर पाँच घंटे तक दिये गये भाषण का आज भी उल्लेख होता है।

पं. मदनमोहन मालवीय अनेक संस्थाओं के संस्थापक तथा कई पत्रिकाओं के संपादक रहे। इन संस्थाओं और पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने हिन्दू आदर्शों, सनातन धर्म तथा संस्कारों के अनुकरण द्वारा राष्ट्र निर्माण को ही प्रोत्साहित करते रहे। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, वह था 'प्रयाग हिन्दू सभा' की स्थापना जिसके माध्यम से समसामयिक समस्याओं के सम्बंध में वे मार्गदर्शन देते रहे। सन् 1884 में वे हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा के सदस्रू सन् 1885 में 'इण्डियन यूनियन का सम्पादन', सन् 1887 में 'भारत धर्म महामण्डल' की स्थापना करके सनातन धर्म का प्रचार कर जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते रहे। उन्होंने सन् 1889 में 'हिन्दुस्तान' का सम्पादन, सन् 1891 में 'इंडियन ओपीनियन' आदि का सम्पादन कर पत्रकारिता के उच्चतम मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने कुछ समय तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत भी की। इन अवसरों पर अनेक महत्वपूर्ण व विशिष्ठ मामलों में जीत हासिल कर चकित भी किया। सन् 1913 में वकालत छोड़कर सिर्फ राष्ट्रसेवा की आगे बढ़ गये ताकि राष्ट्र को गुलामी के बन्धनों से अलग किया जा सके। वे आजीवन देश सेवा के कार्य में ही लगे रहे। अंततः 12 नवम्बर सन् 1946 को इलाहाबाद में इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। उनके विचार और उनके द्वारा किये गये कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिये दिशा देते रहेंगे।

प्रकृति का प्रिज्म है इंद्रधनुष

अक्सर बरसात के दिनों में आपने आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा, आप सोचते होंगे कि ये कैसे बनता है? आसमान में एक साथ कई रंग कैसे दिखाई देते हैं, आज हम आपके लिए इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं, तो आइये जानते हैं कि इन्द्रधनुष यानी रैनबो कैसे बनता है. असल में सूर्य का प्रकाश हमें सफेद सा दिखाई पड़ता है. लेकिन यह सात अलग–अलग रंगों से मिलकर बना होता है. प्रिज्म के जरिये इसका पता भी चलता है. इंद्रधनुष असल में प्रकृति का प्रिज्म है.

बारिश या भाप के धूप के संपर्क में आने पर पानी की छोटी छोटी बूंदे पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं. सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरते हुए सात अलग अलग रंगों में टूट जाता है. और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है. इन्द्रधनुष में बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग दिखाई पड़ता है. यही सात रंग साथ मिलकर सफेद प्रकाश बनाते हैं. लेकिन रास्ते में प्रिज्म या बूंदों के आते ही सातों रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं.

बारिश की रिमझिम बूंदों के बीच अगर धूप भी हो तो सूर्य की तरफ मुंह कर लीजिए, कहीं ने कहीं आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा. इसके अलावा विशाल झरनों के पास भी आम तौर पर हमेशा दिन के वक्त इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि एक नहीं बल्कि दो–दो इन्द्रधनुष दिखाई देते हैं. ऐसा तब होता है जब एक ही जगह मौजूद बूंदों के बार बार धूप के सम्पर्क में आने पर दो इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं.

भविष्य द्रष्टा, कुशल संगठक

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी। जेपी से लेकर चौधरी चरण सिंह तक का दिल जीतने में वे सफल हुए थे

ठाणे में 1972 में पांडुरंग शास्त्री अठावले के तत्वज्ञान विद्यापीठ में आयोजित रा.स्व. संघ की बैठक में श्री गुरूजी ने कहा था, 'दत्तोपंत हमारे विचारदाता हैं।' भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक ठेंगड़ी जी का आव्हान था, 'श्रम का राष्ट्रीयकरण हो, उद्योगों का श्रमीकरण हो और देश का उद्योगीकरण हो।' मार्क्सवादी नारे 'दुनिया के मजदूरों, एक हो' के बरक्स उनका नारा था, 'मजदूर दुनिया को एकजुट करते हैं।' वामपंथियों के प्रभाव में रहे भारतीय ट्रेड युनियन आंदोलन में ठेंगड़ी जी के आगमन के बाद भारतीय लोकाचार और सांस्कृतिक मूल्यों को स्थान मिला।

ठाणे बैठक में विचार–विमर्श के दौरान श्रीगुरूजी पांच दिन तक पश्चिम की सामाजिक–आर्थिक संरचना एवं विचार प्रक्रियाओं के साथ–साथ विकास की हिन्दू अवधारणा के बारे में मत व्यक्त करते रहे थे। अंत में श्री गुरूजी ने भारत के सतत् विकास हेतु एक रणनीति तैयार करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लक्ष्यपत्र ऐसे होने चाहिए कि लोग उन पर विश्वास कर सकें और देश वर्षों तक इसका पालन कर सके। तद्नुसार ठेंगड़ी जी ने ठाणे में श्रीगुरूजी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर एक रूपरेखा प्रस्तुत की।

वर्षों बाद ठेंगड़ी जी ने इस विचार को स्वीकार किया, 'पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण नहीं है और पश्चिमी प्रतिमान सार्वभौमिक प्रतिमान नहीं हैं।' पश्चिमी बाजार अर्थव्यवस्था पर ठेंगड़ी जी ने और भी विशिष्ट सुझाव दिए। वह स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज में 'डेरिवेटिव ट्रेड' तथा 'फॉरवर्ड ट्रेडिंग' जैसी सट्टा गतिविधियों के साथ ही मुद्रा बाजार आदि गतिविधियों के विरोधी थे जिनके कारण कृत्रिम मूल्य वृद्धि और अन्य षड्यंत्रपूर्ण कमियां पैदा होती हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के सकात्म मानववाद को अपने जीवन में अतारना हो तो उसके लिए हमें दत्तोपंत ठेंगड़ी का अनुसरण करना होगा। श्रीगुरूजी, दीनदयालजी और ठेंगड़ी जी के कामों में परस्पर कोई विरोधाभास नहीं है और उनकी सोच एक ही स्तर पर थी।

साम्यवाद की उल्टी चाल – दत्तोपंत ठेंगड़ी 1968 में लोकसभा अध्यक्ष संजीव रेड्डी के नेतृत्व में सोवियत रूस गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। रूस से लौटने के बाद उन्होंने घोषणा की कि रूस में साम्यवाद पीछे की ओर लौट रहा है। बाद में पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होने के बावजूद उनका मत था कि समय साम्यवाद के खिलाफ चल रहा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य साबित हुआ।

ठेंगड़ी जी का मानना था कि सत्ता हासिल होने या कार्यान्वयन के करीब पहुंचने के पहले कोई 'ब्लूप्रिंट' नहीं तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत दिलचस्प और आंखें खोलने वाला उदाहरण रखते हुए बताया कि वीर सावरकर ने लेनिन से ब्लूप्रिंट की मांग की थी। लेकिन लेनिन ने कोई ब्लूप्रिंट देने मना कर दिया था, क्योंकि रूस का ब्लूप्रिंट भारत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।

1975 में आपातकाल –जयप्रकाश नारायण ने 1975 में अपनी गिरफ्तारी से पहले आपातकाल के लड़ने के लिए लोकसंघर्ष समिति का गठन करते हुए नानाजी देशमुख को उसका संयोजक बनाया था। नानाजी की गिरफ्तारी के बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ से इस्तीफा देकर लोकसंघर्ष समिति का कार्यभार संभाला। हालांकि पुलिस उनकी तलाश में थी, लेकिन ठेंगड़ी जी 9 सितम्बर, 1975 को अपने अखिल भारतीय दौरे के क्रम में कोलकाता पहुंचे। रात में ठेंगड़ी जी के साथ एक गुप्त बैठक में हमने पश्चिम बंगाल और ओडिशा की स्थिति पर चर्चा की। हर जगह भय का माहौल था। इंदिरा गांधी की जनसभाओं में भारी भीड़ जुट रही थी। यह सब सुनने के बाद ठेंगड़ी जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि इंदिरा गांधी का शासन अगले 17 महीने में खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा, क्या ऐसा ज्योतिषीय आधार पर कह रहे हैं?तो ठेंगड़ी जी ने कहा, नहीं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी में तानाशाही के पूरे गुणों का अभाव है। साथ ही, वह किसी पर भरोसा नहीं करतीं और कोई उन पर भरोसा नहीं करता। इसी वजह से वह विफल हो जाएंगी। कोलकाता से लौटने के बाद कटक में मीसा (मेंटीनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 17 महीने बाद आपातकाल हटने पर 1977 में छोड़ा गया।

आपातकाल के दिनों में ठेंगड़ी जी रवीन्द्र वर्मा के साथ पूरे भारत का दौरा कर रहे थे और मुम्बई के जसलोक अस्पताल में जयप्रकाश नारायण समेत अन्य राजनीतिक नेताओं से मिल रहे थे। आपातकाल के दौरान ठेंगड़ी जी के साहसिक कामों की कहानी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। आपातकाल की निरंतरता से हताश होकर कुछ कार्यकर्ता, विशेष रूप से दिल्ली के बैकुन्ठलाल शर्मा, जो बाद में सांसद बने, इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए उद्धत हो गए थे। ठेंगड़ी जी ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया और 'क्रान्ति पर' शीर्षक से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज ने विभिन्न देशों में हुए हिंसक आंदोलनों और उनके परिणामों का वर्णन है। अंत में ठेंगड़ी जी ने जोर देकर समझाया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण जन आंदोलन ही सफल होते हैं।

हालांकि आपातकाल के खिलाफ आंदोलन अहिंसक बना रहा, लेकिन राजनीतिक हित इसके आड़े आने लगे थे। 1976 में जब जेपी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नामित करने का ठेंगड़ी जी से प्रस्ताव मांगा। ठेंगड़ी जी ने पुणे के वरिष्ठ समाजवादी नेता एस.एम. जोशी के नाम का प्रस्ताव किया। इसके कुछ दिनों बाद चरण सिंह जेपी से मिले और उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने को कहा। इसके बाद चरण सिंह का सार्वजनिक बयान आया कि जनसंघ उनके खिलाफ था।

इस तरह के बयान से उस समय गलतफहमी पैदा हुई। हालांकि ठेंगड़ी जी उस समय पुलिस निगरानी में थे, फिर भी चरणसिंह से मिलने के लिए उन्होंने मुम्बई से बागपत की यात्रा की। ठेंगड़ी जी ने चरण सिंह को समझाया कि उन्होंने जोशी के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि जेपी सम्भवतः ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाना चाहेंगे, जो सत्ता से बाहर रहने के उनके सिद्धांत का पालन करे। इससे पहले कि ठेंगड़ी जी कुछ और बोल पाते, चरण सिंह ने ठेंगड़ी जी को गले लगा लिया और उन्हें कहने लगे कि वह उनके छोटे भाई जैसे हैं। राजनीतिक नेताओं को साथ लाने के क्रम में इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे ठेंगड़ी जी को दो–चार होना पड़ा। इंदिरा गांधी के हार जाने के बाद आपातकाल हट गया और जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई तो दत्तोपंत का मिशन पूरा हो गया।

राज्यसभा – राज्यसभा (1970–76) में ठेंगड़ी जी के दूसरे कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने निवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया था। वहां उनसे पूछा गया कि वह जनसंघ और श्री गोलवलकर में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ठेंगड़ी जी ने जवाब दिया, गोलवलकर। इसके बाद, उन्हें राज्यसभा में उपसभापति पद की पेशकश की गई थी, लेकिन ठेंगड़ी जी ने उस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था।

शेष भाग पृष्ठ क्रमांक 1 का

ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार नहीं किया होता तो आज यह नागरिकता संशोधन विधेयक लाने की जरूरत ही महसूस न होती। आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हंगामा कर रहे हैं। जब भी कांग्रेस ने देश के लिये कोई बड़ा फैसला लिया सबसे पहले अपने वोट बैंक का ध्यान रखा है। सरकार के इस कदम में मीन–मेख निकालने के बदले विपक्ष को चाहिये कि वह सरकार का साथ दे क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर–मुसलमानों (हिन्दु, सिख, बौद्ध जैन आदि) पर भारी जुल्म हुये हैं। ताकि जब इस बिल के जरिये उन्हें नागरिकता दी जा सके।

प्रावधान

–अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आये हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख शरणार्थियों को बिना किसी दस्तावेज प्रस्तुत किये आवेदन करने पर नागरिकता दी जायेगी। अब भारत की नागरिकता पाने के लिये 11 वर्षों की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी बल्कि 6वर्षों तक देश में रहने की शर्त अनिवार्य होगी।

सबसे आश्चर्यजनक और भ्रमित करने वाला विपक्ष का हथकंडा यह है कि इस विधेयक को मुस्लिम पक्ष से जोड़कर दलील दी जा रही है। कोई यह बताने का कष्ट करेगा की भारत में रहने वाले किसी मुस्लिम का इस कानून से क्या किसी भी किस्म का नुकसान होने वाला है? वह नुकसान क्या है? सिर्फ विरोध के लिये विरोध किया जाकर 'अपनी ढ़फली–अपना राग' छेड़ा जा रहा है।

यह अत्यन्त नाजुक मामला है, जो धर्म के आधार पर सन् 1947 में देश का बंटवारा किये जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस निर्णय के कारण लाखों–करोड़ों कालकवलित हुये, अपनी जमीन–जायजात, व्यापार, रोजी–रोटी से वंचित हुये और अपने परिवार सहित मुस्लिमों के कोप का भाजनबन कर त्रासदी झेलने बाध्य हुये हैं। यदि अब लगभग एक सदी बाद उन्हें राहत देने का रंच मात्र का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी अड़ंगा लगाना इंसानियत का काम नहीं हो सकता। जुल्मों–सितम झेलते आये ऐसे लोगों को नागरिकता देना भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही माना जायेगा। ये ऐसे लोग हैं जो पड़ोसी देशों द्वारा सताये गये लोग हैं, आखिर इनका कसूर क्या है? जिसके कारण इन्हें इस प्रकार की सजा मिली है।

भारत की इसी संस्कृति ने उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के लिये हमेशा अपने दरवाजे उदारता के साथ खोल रखे हैं। विपक्ष द्वारा किया जा रहा यह निर्रथक विरोध अमानवीय व्यवहार का द्योतक है, जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, उसने हमेशा कोई भी निर्णय लेते समय वोट बैंक का दृष्टिकोण सामने रखा है। उसी सोच का परिणाम है, वर्तमान में उसकी हो रही दुर्दशा। कम से कम अब तो उसे देशहित में विचार करना चाहिए। उल्टे झूठा प्रचार यह किया जा रहा है कि विधेयक मुस्लिम विरोधी है। क्या इसमें रंच मात्र भी सच्चाई है?

इस तथ्य से भी वाकिफ होना जरूरी है कि इस विधेयक के माध्यम से भारत विभाजन के पहले और बाद के हालात से निपटने की एक कोशिश है। इस कारण इस संशोधन विधेयक में श्रीलंका के तमिल हिन्दुओं और मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।

बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करते हुये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी विपक्षी दलों के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुये शरारत भरी टिप्पणी की है। एक तो यह भारत के आंतरिक मामले में सीधा हस्तक्षेप है तथा लोगों को गुमराह करने निन्दनीय हरकत है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे वहां के अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले में दुनियाभर में बुरी नजर से देखा जाता है।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने लम्बे समय से चले आ रहे एक महापाप को समाप्त कर फिर चमत्कार कर दिखाया है। बिल तो पास हुआ ही, विपक्ष द्वारा पेश किये गये 14 संशोधनों प्रस्तावों को भी सदन ने अस्वीकार कर दिया। निसन्देह भारत के लिये यह एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है।

सरकार के इस सराहनीय कदम से सिद्ध हो गया है कि देश अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौट रहा है। उन तमाम देशी–विदेशी ताकतों के चुकक्रों पर अब पानी फेरा जा रहा जिनके द्वारा भारत वासियों को भ्रमित कर भारतीय संस्कृति से दूर रखने का षड़यंत्र रचा गया

प्रकाश वर्ष क्या है?

प्रकाश वर्ष वह खगोलीय मापक है जिसे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है. ब्रम्हांड में मौजूद तारों आदि के बीच की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के तौर पर, धरती के सबसे पास मौजूद तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमसे 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है.

प्रकाश वर्ष कोई समय सूचक नहीं, जैसा कि इसके नाम से लगता है. प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है. प्रकाश वर्ष–प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है. आप जानते होंगे कि प्रकाश की गति तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है (2,99,700 किलोमीटर प्रति सेकंड)7 यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है.

इसी गति से एक वर्ष में तय की गयी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है (9.4607 *10ट्ट12 किलोमीटर).

चूंकि अंतरिक्ष में सब कुछ एक दूसरे से बहुत दूर है, किलोमीटर या मील का प्रयोग सम्भव नहीं. उदाहरण के लिए, पृथ्वी से सबसे समीप तारा, प्रोक्सीमा सेंटोरी हमसे 24,000,000,000,000 मील दूर है. ये संख्याएं इतनी भी हो जाती हैं कि इनसे काम करना मुश्किल हो जाता है. यही बड़ी संख्या को केवल 4.25 प्रकाश वर्ष लिखा जा सकता है जिसका उपयोग आसान होता है. इस मापक के लिए प्रकाश ही मानक माना गया, क्योंकि प्रकाश की गति हर माध्यम में समान होती है ङ 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड. इस हिसाब से एक प्रकाश वर्ष में 3,00,000 *365 दिन *24 घण्टे *60 मिनट *60 सेकंड = 9460. 8 बिलियन किलोमीटर होते हैं.

प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समय लगता है. यह वही सिद्धांत है जिस पर प्रकाश वर्ष की परिभाषा आधारित है. परन्तु प्रकाश की गति इतनी है? है कि स्विच जलाते ही बल्ब जल जाता है और हमें लगता है कि प्रकाश तात्कालिक है. प्रकाश के इसी गुण के कारण हम एक रोमांचक घटना के साक्षी भी बन पाते हैं ङ भूतकाल को देखना. और ये कोई नई बात नहीं है. ऐसा हम हर रोज अनुभ्झव करते हैं, बस पहचान नहीं पाते.

सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि हम जो सूरज को देखते हैं, वह 8 मिनट पुराना है और अभी वैसा नहीं दिखता. वह ऐसा 8 मिनट पहले दिख रहा था. एंड्रोमेडा आकाशगंगा पृथ्वी से 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है. इसका मतलब है कि हम जिस आकाशगंगा को देख रहे हैं वह वैसी 2 मिलियन साल पहले दिखती थी क्योंकि प्रकाश को वहां से हम तक पहुंचने में 2 मिलियन साल लग गए।

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

– सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा-
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com